

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक-एफ 4(ई)(1)(6)/अति.कार्य./अलेसे-III/6543-6576 दिनांक- 28.9.2012

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 4 में वर्णित कार्यालयों में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का कार्य अपने स्वयं के कार्य के साथ-साथ सम्पादित करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	सर्वश्री नाम कनिष्ठ लेखाकार	वर्तमान विभाग	विभाग का नाम जहाँ अतिरिक्त कार्य आवंटन किया गया है।
1	2	3	4
1	राजकुमार	सहायक निदेशक, संचान विभाग, भरतपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भरतपुर
2	राजेन्द्र सिंह सिसोदिया	जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा
3	शिव प्रसाद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, धौलपुर
4	राजनीश कुमार चौबीसा	जिला परिषद (नरैगा), झुगरपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झुगरपुर
5	नगेन्द्र पारीक	अधीक्षण अभियंता, (जिला वृत्त), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जयपुर
6	बेलाराम चौधरी	अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त जालौर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जालौर
7	अशोक कुमार जैन	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, कोटा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कोटा
8	टीकमचन्द	उप परियोजना अधिकारी, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़
9	छगनलाल प्रजापत	कोषालय, राजसमन्द	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजसमन्द
10	शंकरलाल सोलंकी	कोषालय, सिरोंही	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिरोंही

इन्हें राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के अंतर्गत नियमानुसार दोहरा कार्य भत्ता देय होगा।

क्रमांक-एफ 4(ई)(1)(6)/अति.कार्य./अलेसे-III/6543-6576 दिनांक- 28.9.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
2. कोषाधिकारी,
3. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय
4. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट / रक्षित / निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)